



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-4, खण्ड (ख)
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 22 जून, 2020

आषाढ़ 1, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
 लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 146/23-2-20-16(सा0)-2020
 लखनऊ, 22 जून, 2020

अधिसूचना

प०आ०-149

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला बाराबंकी में घाघरा नदी पर स्थित लोढ़ेमऊ घाट पर एक नए सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला बाराबंकी में लोढ़ेमऊ घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला बाराबंकी में लोढ़ेमऊ घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या/अम्बेडकर नगर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या में निहित होगा।

अनुसूची

जिले का नाम	नदी के दोनों ओर परगनों का नाम	नदी के दोनों ओर पर ग्रामों का नाम	नदी जिस पर नौकाघाट स्थापित किया जाना है	नौकाघाट का नाम
1	2	3	4	5
बाराबंकी	सिरौली-गौसपुर	कोठरी गौरिया, खेवराजपुर, कलसन का पुरवा	घाघरा नदी (सरयू नदी)	कोठरी गौरिया लोढ़ेमऊ घाट
बाराबंकी	सिरौली-गौसपुर	कमियार, नैपुरा,परसावल, गोपीपुरवा		

नौघाट की सीमा					
नौकाघाट की श्रेणी	किनारा	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के अनुकूल	दूरी
6	7	8	9	10	11
"ए"	1.00 कि०मी०	डेरराजा	2.00 कि०मी०	अतरसुइया	2.500 कि०मी०
	0.800 कि०मी०	परसावल	1.800 कि०मी०	असवा	2.800 कि०मी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 146/XXIII-II-2020-16(Sa)-2020, dated June 22, 2020 for general information:

No. 146/XXIII-II-2020-16(Sa)-2020

Dated Lucknow, June 22, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the river Ghaghara at Lodhemau Ghat in district Barabanki;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no.XVII of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Lodhemau Ghat in district Barabanki within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the said Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Lodhemau Ghat in district Barabanki shall vest in the Superintending Engineer, Ayodhya/Ambekar Nagar Circle, Lok Nirman Vibhag, Ayodhya.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of village on both sides of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Barabanki	Sirauli Gauspur	Kothri Gauria, Khewrajpur, Kalsan Ka Purwa	Ghaghara River (Saryu River)	Kothri Gauria Lodhe Mau Ghat
Barabanki	Sirauli Gauspur	Kamkyar, Naipura, Parsawal, Gopi Purwa		

Class of Ferry	Bank	Limit of Ferry			
		Upstream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10	11
Grade "A"	1.00 Km.	Dare Raja	2.00 Km.	Atarsuiya	2.500 Km.
	0.80 Km.	Parsawal	1.800 Km.	Aswa	2.800 Km.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.